मैच फिक्सिंग आरोपी किशन की विदेश जाने संबंधी अर्जी नामंजूर

सहारा समाचार
नयी दिल्ली, 13 मार्च

मैच फिक्सिंग मामले में आरोपी अभिनेता किशन कुमार की विदेश जाने की संबंधी अर्जी राजधानी की एक अदालत ने नामंजूर कर दी। आरोपी किशन कुमार ने इससे पहले भी एक अर्जी उच्च न्यायालय में दी थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था।

पटियाला हाउस के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वीके महेश्वरी की अदालत में मैच फिक्सिंग मामले के आरोपी किशन कुमार ने विदेश जाने संबंधी अर्जी में कहा था कि उसे अपने इलेक्ट्रानिक व्यवसाय के मामले में 15 से 25 मार्च 2001 तक हांगकांग जाना है। इस मामले में हांगकांग की एक कंपनी मैसर्स डायनामैग इंटरनेशनल द्वारा भेजा फैक्स संदेश भी अदालत को दिखाया गया। इस अर्जी का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अभियोजक सुभाष बंसल ने कहा कि आरोपी किशन कुमार ने अभी तक अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को नहीं सौंपा है।

इसके अतिरिक्त मैच फिक्सिंग मामले में बहुत से तथ्य विभिन्न देशों से आने हैं। यदि विदेश जाने की अनुमति इस समय दी जाती है तो इन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका है।

जानकारी हो कि किशन कुमार को जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 जून 2000 दी थी। उसे पुलिस ने 14 अप्रैल 2000 को गिरफ्तार किया था परंतु दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पायी थी। आज अदालत ने इस अर्जी को इन्हीं आधार पर नामंजूर कर दिया। विदेश जाने की अनुमति वाली एक अर्जी अपराध शाखा की अदालत में भी लगी है, जिस पर अभी अदालत ने आदेश पारित नहीं किया है।

विश्वविद्यालय के उत्तरी व दक्षिणी परिसरों में भी छात्राओं के लिए नए छात्रावास बनाए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि सभी नौ जिलों में कम से कम एक-एक महिला हॉस्टल उपलब्ध हो जाए। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यह बात आज एक उच्च स्तरीय बैठक में कही। यह बैठक राजधानी में कामकाजी महिलाओं व लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाओं की समीक्षा के लिए बुलायी गयी थी।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही राजधानी के वृद्धजनों से अपील की है कि वे कामकाजी महिलाओं के लिए पेइंग गेस्ट प्रणाली के रूप में आवासीय सुविधा मुहैया कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2001 महिला सशक्तीकरण के तौर पर मनाया जा रहा है और समुचित प्रचार करने पर विचार कर रही है ताकि कामकाजी महिलाओं-लड़कियों की आवास की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस बैठक में समाज कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ, दिल्ली सरकार, नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद, डीडीए और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

श्रीमती दीक्षित ने प्रत्येक जिले में एक-एक महिला हॉस्टल बनाने के लिए डीडीए को 10 दिनों के भीतर जगह की पहचान करके उसे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डीडीए द्वारिका, रोहिणी, पप्पनकलां जैसी आवासीय परियोजना क्षेत्रों में हॉस्टल के लिए जमीन उपलब्ध करा सकता है। डीडीए को इस ओर कार्रवाई करनी चाहिए।

मैच फिक्सिंग आरोपी किशन की विदेश जाने संबंधी अर्जी नामंजूर

सहारा समाचार
नयी दिल्ली, 13 मार्च

मैच फिक्सिंग मामले में आरोपी अभिनेता किशन कुमार की विदेश जाने की संबंधी अर्जी राजधानी की एक अदालत ने नामंजूर कर दी। आरोपी किशन कुमार ने इससे पहले भी एक अर्जी उच्च न्यायालय में दी थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था।

पटियाला हाउस के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वीके महेश्वरी की अदालत में मैच फिक्सिंग मामले के आरोपी किशन कुमार ने विदेश जाने संबंधी अर्जी में कहा था कि उसे अपने इलेक्ट्रानिक व्यवसाय के मामले में 15 से 25 मार्च 2001 तक हांगकांग जाना है। इस मामले में हांगकांग की एक कंपनी मैसर्स डायनामैग इंटरनेशनल द्वारा भेजा फैक्स संदेश भी अदालत को दिखाया गया। इस अर्जी का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अभियोजक सुभाष बंसल ने कहा कि आरोपी किशन कुमार ने अभी तक अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को नहीं सौंपा है।

इसके अतिरिक्त मैच फिक्सिंग मामले में बहुत से तथ्य विभिन्न देशों से आने हैं। यदि विदेश जाने की अनुमति इस समय दी जाती है तो इन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका है।

जानकारी हो कि किशन कुमार को जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 जून 2000 दी थी। उसे पुलिस ने 14 अप्रैल 2000 को गिरफ्तार किया था परंतु दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पायी थी। आज अदालत ने इस अर्जी को इन्हीं आधार पर नामंजूर कर दिया। विदेश जाने की अनुमति वाली एक अर्जी अपराध शाखा की अदालत में भी लगी है, जिस पर अभी अदालत ने आदेश पारित नहीं किया है।

निजी सीएनजी बसों पर परिवहन